REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263101 CG-DL-E-14052025-263101

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2097]नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2025/वैशाख 24, 1947No. 2097]NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2025/VAISAKHA 24, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) आदेश नई दिल्ली, 14 मई, 2025 एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन, आदेश, 2025

का.आ. 2144(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस आदेश का नाम एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

3151 GI/2025

"(2) यह आदेश 13 अगस्त, 2025 **को** प्रवृत्त **होगा।**"

[फा. सं. सी. II-18012/11/2024-रसा.II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल **आदेश** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4925(अ), तारीख 14 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 14th May, 2025

H Acid (Quality Control) Amendment Order, 2025

S.O. 2144(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the H Acid (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the H Acid (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the H Acid (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 13th day of August, 2025."

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2024, vide number S.O. 4925(E), dated the 14th November, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

के एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन, आदेश, 2025

का.आ. 2145(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, के एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस आदेश का नाम के एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. के एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) यह आदेश 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-18012/11/2024-रसा.II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4926(अ), तारीख 14 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 14th May, 2025

K Acid (Quality Control) Amendment Order, 2025

S.O. 2145(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the K Acid (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the K Acid (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the K Acid (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 13th day of May, 2026."

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2024, vide number S.O. 4926(E), dated the 14th November, 2024.

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन, आदेश, 2025

का.आ. 2146(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इस आदेश का नाम विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

 विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) यह 13 अगस्त, 2025 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-18012/11/2024-रसा.II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4927(अ), तारीख 14 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 14th May, 2025

Vinyl Sulphone (Quality Control) Amendment Order, 2025

S.O. 2146(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Vinyl Sulphone (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Vinyl Sulphone (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vinyl Sulphone (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 13th day of August, 2025."

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2024, vide number S.O. 4927(E), dated the 14th November, 2024.